रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 1 दिसम्बर, 2008 / 10 अग्रहायण, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 नवम्बर, 2008

संख्याः टी0एस0एम.एफ(6)–3 / 2001.लूज.––यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः मुहाल सुजा, तथा मुहाल बिलिंग, मौजा बीर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश में ऐरो स्पोर्टस गतिविधियों के विकास हेतु भू–– अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) के अन्तर्गत भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरण में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजजेन के लिए भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है ।

यह अधिसचूना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता (उपमण्डलाधिकारी) बैजनाथ को उक्त भूमि अर्जन करने के आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है ।

अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हूए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा–4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–9 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के प्रावधान से 15 दिन की अवधि समाप्त होने तक पलाट देने से पूर्व अकृष्ट एवं कृषित भूमि का कब्जा ले सकता है।

'' विवरणी ''

जिला	तहसील	मुहाल	मौजा	खसरा न0	रकबा (हैक्टेयर)
कांगड़ा	बैजनाथ	सुजा	बीड़	400	0.36.12
				किता 1	0.36.12
कांगड़ा	बैजनाथ	बिलिंग	बीड़	497	0.02.42
				483	0.06.55
				505	0.01.92
				509	0.03.24
				498	0.01.92
				504	0.03.05
				506	0.00.75
				500	0.06.45
				501	0.02.99
				508	0.02.86
				507	0.00.56
				481	0.16.44
				482	0.03.80
				499	0.05.39
				512	0.05.95
				503	0.02.73
				कुल किता 16	0.67.02

कुल किता 16+1 = 17
कुल रकबा 0.36.12
0.67.02
0.103.14 हैक्टेयर

आदेश द्वारा,

मनीषा नंदा
सचिव ।

तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2 24 नवम्बर, 2008

संख्या ई.डी.एन. (टी ई) ए (3) 6/2007.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा एव्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक

इलैक्ट्रोनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग वर्ग. 1, (राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा,व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग वरिष्ठ प्राध्यापक इलैक्ट्रोनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग वर्ग–1, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2008 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव ।

––––––––

उपाबन्ध –क

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग मे वरिष्ठ प्राध्यापक इलैक्ट्रोनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग वर्ग–ए 1 (राजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.––** वरिष्ठ प्राध्यापक इलैट्रोनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग (पालिटेक्निक)

2. **पदों की संख्या.––** 03 (तीन)

3. **वर्गीकरण.––** वर्ग –1 (राजपत्रित)

4. **वेतनमान.––** रुपये 10025–275–10300–340–12000–375–13500–400–15100 / –

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.––** लागू नहीं ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.––** लागू नही ।

7. **सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––** लागू नही ।

8. **सीधि भर्ती के लिए विहित आयु और प्रोन्नति.––** आयु लागू नहीं ।
शैक्षणिक अर्हताएं की दशा में लागू होगी या नहीं.–– (शैक्षिक अर्हता) : लागू नहीं ।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––**दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. **भर्ती की पद्वति भर्ती सीधी होगी या.––** शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सेकेण्डमैंट
प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताः आधार पर ।

प्राध्यापक कम्पयूटर इजिनियरिंग / कम्पयूटर एप्लीकेशन में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमितसेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, को सहित पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐ प्राध्यापक कम्पयूटर इजिनियरिंग / कम्पयूटर एप्लीकेशन में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमितसेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, को सहित पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर पर हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के विभागों में से समरुप वेतनमान में कार्यरत्त अधिकारियों में से सेकेन्डमैन्ट आधार पर ।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र अधिकारियों की उनके अपने अपने काडर में सेवाकाल के आधार पर पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलो में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगाातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाऐगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के प्श्चात् की गई थी ।

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र समझें जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाऐंगे ।

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.––अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी ए यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

11. प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जायेगा.–– प्राध्यापक इलैक्ट्रोनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई होए सहित पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो एऐसा न होने पर, हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समरुप वेतनमान में कार्यरत्त अधिकारियों में से सेकेन्डमैन्ट आधार पर ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलो में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगाातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाऐगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी ;

(i) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र समझें जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाऐंगे ;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.––अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम –3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान् हो, तो उसकी संरचना.**–जैसे सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जायें ।

13. **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**–जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है ।

14. **सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अपेक्षा.–** लागू नहीं ।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–** लागू नहीं

16. **आरक्षण.–** लागू नहीं ।

17. **विभागीय परीक्षा.–** सेवा में प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित समय समय पर संशोधित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी ।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचिन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों में या इन नियमों के किन्ही उपबन्धो को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत शिथिल कर सकेगी ।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 6 /2007 dated 24.11.2008 as required under Article 348 (3) of the constitution of India.*]

DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING

NOTIFICATION

Shimla-171002, 24 November, 2008.

No. EDN(TE)A(3)6/2007.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the H. P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Lecturer Electronics & Communication Engineering Class-I, (Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P. as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :—

1. *Short title and Commencement.***—** (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education ,Vocational & Industrial Training Department , Senior Lecturer Electronics & Communication Engineering Class- I ,(Gazetted) Recruitment and Promotion Rules , 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Raj patra, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Secretary.

———————

ANNEXURE–A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR LECTURER IN ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (POLYTECHNICS) (CLASS-I , GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.— Senior Lecturer Electronics and Communication Engineering. (Polytechnic)

2. Number of posts.— 03 (Three)

3. Classification.— Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.— Rs.10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100/–

5. Whether Selection Post or Non-Selection.—Not applicableor.

6. Age for direct recruitment.— Not applicable.

7. Minimum educational qualification and other qualifications required for direct recruits.—Not applicable.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.— Age : N.A

Educational Qualification.— N.A

9. Period of Probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion deputation /transfer is to be made.—By promotion from amongst the Lecturers Electronics and Communication Engineering having at least 05 years

regular or regular combined with continuous adhoc service, rendered if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the officers working on the analogous post and identical pay scale of this post from other H.P. Govt. Departments.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder posts, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that adhoc Appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

(i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior persons in the field of consideration.

Provided further that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post whichever is less;

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration of such promotion.

Explanation.— The last proviso shall not render the junior incumbent(s) in eligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules-3 of the Exservicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services)Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—Not applicable.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997as amended from time to time.

18. Power to Relax.— Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171002, 3 नवम्बर, 2008

संख्याः सिंचाई 11–152 / 2005.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चक, तहसील अम्ब, जिला ऊना में पेयजल योजना चक सराए अकरोट पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू–अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू–अर्जन लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र / हैक्टेयर में
ऊना	अम्ब	चक	207 / 1	0–02–25

शिमला–171002, 17 नवम्बर, 2008

संख्याः सिंचाई 11–164 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतू की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र / हैक्टेयर में
कांगड़ा	इन्दौरा	मलकाना	297 / 1	0–01–62
			298	0–01–75
			1376 / 1 / 1	0–01–36
			299 / 1	0–01–93
			किता–4	0–06–66 है0

शिमला–171002, 26 नवम्बर, 2008

संख्याः सिंचाई 11–53 / 2008.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल गांव करोट L.W.S.S. सैर टौवा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र / बिघा–बिस्वा में
बिलासपुर	सदर	करोट	569 / 542 / 1	0–15
			466 / 1	0–02
			किता–2	0–17

शिमला–171002, 17 नवम्बर, 2008

संख्या सिंचाई 11–109 / 2005–चम्बा.––यतः हिमाचल प्रदेश को सरकारी व्यय पर निम्नलिखित विर्निदिष्ट भूमि जैसा कि विवरणी में दर्शाया गया है, नहीं चाहिए ।

अतः अब राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना समसंखांक दिनांक 17–11–2005 व 02–05–2006 जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 व 6 तथा 7 के अन्तर्गत गांव सेरी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा में मल निकासी टैंक के निर्माण हेतु अर्जित करने के लिए जारी कि गई थी, में जैसा कि नीचे दी गई विवरणी में विर्निदिष्ट है, भूमि अर्जन कार्यवाही सहर्ष वापिस लेते हैं ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र / बिघा–बिस्वा में
चम्बा	भरमौर	सेरी	852 / 1	0–12
			864 / 3 / 1	0–08
			किता–2	1–00

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

लोक निर्माण विभाग

शिमला–2, 28 नवम्बर, 2008

अधिसूचना

संख्या पी0बी0डब्लयू0(बी)एफ(5)186 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टीहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में सुजानपुर–चौरी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग म0 क्षेत्र मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र / (कनाल मरले) में
हमीरपुर	सुजानपुर	टीहरा	889 / 868 / 1	3–0
			कुल किता–1	3–0

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव।

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 29th November, 2008

No.1-73/70-Fin (LA) Vol-6-6212-20.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion Shri Jai Gopal Sharma, Assistant Controller to the post of Deputy Controller in the pay scale of Rs.7880-11660, with immediate effect.

2. Consequent upon the above promotion, Shri Jai Gopal Sharma will continue to be posted in the Directorate of Urban Development, H. P. Shimla-171002.

3. The above promotion will, however, be subject to the final out come on the Writ Petition (Civil) No. 61/2002 titled M. Nagaraj & Ors. Versus Union of India & Ors and Writ Petition (Civil) No.295/2002- titled Devi Ram Tanwar & Ors. Versus Union of India & Ors in the Hon'ble Supreme Court of India.

4. Shri Jai Gopal Sharma will remain on probation for a period of two years. He may exercise option for his fixation of pay in the above post within one month from the date of this notification.

By order,
ARVIND MEHTA,
Pr. Secretary.

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 नबम्वर, 2008

संख्या इण्ड–II(बी)2–1/2007.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग में प्रयोगशाला परिचर, वर्ग– IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रयोगशाला परिचर, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन एवं व्यावृतियां.––**(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या उद्योग–II (ख)2–11/96 तारीख 3–5–1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग प्रयोगशाला परिचर, (वर्ग–4) (अराजपत्रित) भर्ती एंव प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

2. ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप–नियम(।) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगीं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध 'क'

हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग में प्रयोगशाला परिचर, वर्ग–IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.–प्रयोगशाला परिचर

2. पदों की संख्या.–2 (दो)

3. वर्गीकरण.–वर्ग–IV (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.–2520–100–3220–110–3660–120–4140 रुपये

5 चयन पद अथवा अचयन पद.–लागू नहीं ।

6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु.–18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है ;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमें तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष क प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद पदों को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया हैं या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले वयक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.–
(क) अनिवार्य अर्हताएं.––किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आठवीं पास या इसके समकक्ष ।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.––हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं.––(1) आयु.–लागू नहीं ।

(2) शैक्षिक अर्हता.–लागू नहीं ।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. **भर्ती की पद्धति.**––भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट आधार पर स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर ।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा.**––लागू नहीं ।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.**––लागू नहीं ।

13. **परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में, परामर्श लिया जाना है.**–– जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. **सीधी भर्ती / संविदा पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन चयन.**––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, इत्यादि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में प्रयोगशाला परिचर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) अभ्यर्थियों का चयन, विभागाध्यक्ष द्वारा दो अग्रणी समाचार पत्रों में रिक्त पद का विज्ञापन देकर किया जाएगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता / शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थायी आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(II) देय मानदेय.––संविदा के आधार पर नियुक्त प्रयोगशाला परिचर को मु0 3780 / –रुपये की समेकित संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिये संविदात्मक रकम में मु0 100 / –रुपये (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्वि के बराबर) वार्षिक वेतन वृद्वि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.––निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.––(क) निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ठीक पूर्व प्रयोगशाला परिचर की रिक्तियों की बावत सरकार को सूचित करेगा और कार्यभार (वर्कलोड) तथा मानको के अनुसार पूर्ण औचित्य देते हुए रिक्तियों को भरने के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(ख) सरकार द्वारा अनुरोध पर विचार किया जाएगा और यदि प्रथमतः स्थानान्तरण के लिए कोई अनुरोध है तो सरकार नियमित पदधारी के स्थनान्तरण द्वारा रिक्ति को भरेगी या अन्यथा सरकार विभागाध्यक्ष को प्रयोगशाला परिचर के रिक्त पद को सुविधा के आधार पर भरने हेतु ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' जारी करेगी ।

(ग) विभागाध्यक्ष, रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् नियोजनालयों के माध्यम से रिक्त पदों के ब्यौरे विज्ञापित करवायेगा और इन नियमों में विहित, अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्ते रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी जैसी निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को मु0 3780/– रुपये की संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी ।संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100/–रुपये (वेतनमान में वार्षिक वेतनमान के बराबर) की वार्षिक वृद्वि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधांए, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है ।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड.) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, किसी भी अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए किसी भी दशा में स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ज) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त होगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा ।

(झ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि प्रतिस्थानी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम् पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावों का अधिकार.––इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगााए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में उद्योग विभाग में प्रयागे शाला परिचर के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमले न का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण.––उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की वावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जंहा राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है । वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करक हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत्, शिथिल कर सकेगी ।

————————

उपाबन्ध–ख

प्रयोगशाला परिचर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमती ..... सुपुत्र / सुपुत्री श्री ..... निवासी ....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के माध्यम से निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश के मध्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के मध्य आज तारीख को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रयोगशाला परिचर के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रयागे शाला परिचर के रूप में से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जायेगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम मु0 3780 / –रुपये (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी, नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी अवस्था में नियमितिकरण सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. सविदा पर नियुक्त प्रयोगशाला परिचर, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। प्रयोगशाला परिचर को अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का (पर्यावसान) समापन हो जायेगा। संविदा पर प्रयोगशाला परिचर कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिये ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी की नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी वेतनमान की न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सामूहिक जीवन बीमा योलना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को मास.....वर्ष..... को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में
1.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में
1.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर)

———————

(Authoritative English text of this Department Notification No. Ind-II (Kha) 2-1/2007 Dated 27-11-2008 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

INDUSTRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002 the 27th November, 2008

No. Ind-II (Kha) 2-1/2007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the

Recruitment and Promotion Rules for the post of , Laboratory Attendant, Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Industries, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely :—

1. *Short Title and Commencement.*—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Industries Department, Laboratory Attendant, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and Savings.*—(1) The Himachal Pradesh Industries Department, Laboratory Attendant, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. Udyog-II (Kha) 2-11/96 dated 3-05-1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any appointment made or any action under the relevant rules so repealed under sub-rule (I) supra shall be under the corresponding provisions of deemed to have been validity made or done or taken these rules.

By Order
Sd/-
Principal Secretary.

———

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LABORAORY ATTENDANT, (NON-GAZETTED) CLASS-IV IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.— Laboratory Attendant

2. Number of Posts.—2 (Two)

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—Rs.2520-100-3220-110-3660-120-4140

5. Whether "Selection" Post or Non "Selection Post".—N.A.

6. Age for direct recruitment.— Between 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the recruiting authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION.—(i) Should be Middle pass or its equivalent from a Board.

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age.—Not applicable.

E.Q.— Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two year's subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment or on contract basis.

11. In case of recruitment, by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation /transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test

if the recruiting authority, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the recruiting authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— (I) CONCEPT.—(a) Under the policy, Laboratory Attendant in Department of Industries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years or year-to-year basis.

(b) The candidates will be selected by advertising the vacant post by the Head of the Department in two leading newspapers.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job at any stage.

(II) HONORARIUM PAYABLE.—The Laboratory Attendant appointed on contract basis will be paid consolidated contratual amount @ Rs3780/- (Which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay) An amount of Rs.100/-(equal to annual increase in the pay scale of the post.) As per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one years respectively will be allowed if contract is extanded beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Industries, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—(a) The Director of Industries himachal Pradesh will inform the Government about the existing vacancies of Laboratory Attendant well in advance before the end of the financial year and seek approval to fill up the vacancies by giving full justification of the same according to the work load and norms.

(b) The request will be considered by the Government and if there is any request for transfer in the first instance, the Government will fill up the vacancy by transfer of regular incumbent or otherwise Govt. will issue "No objection Certificate" to Head of Department to fill up the vacant post of laboratory Attendant on contract basis.

(c) The Head of Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will advirtise the details of the vacant posts through employment exchange and invite the applications of the eligible candidates having qualifications and other eligible conditions as prescribed in these Rules.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the Director of Industries, Himachal Pradesh from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contract Appointee will be paid Contractual amount @ Rs.3780/- per month. (Which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @

Rs.100/- (equal to annual increase in the pay scale) per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such its senior/selection scales etc.shall be given.

(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract Appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the Contract Appointee. He / She shall not be entitled for medical reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract.

(f) Contract Appointee shall not be entitled for honorarium for the period of absence from duty.

(g) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(h**)** Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over.

The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(i) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular counter-partofficials at the minimum of the pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Laboratory Attendant in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—N.A.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or Category of person(s) or post(s).

Annexure -" B"

Form of contract / agreement to be executed between the Laboratory Attendant and the Government of Himachal Pradesh through Director of Industries, H.P.

This agreement is made on this ..... day of ..... in the year ..... between Sh. / Smt. ..... S/o/D/o Sh..... ..... R/o ..... contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Industries, Himachal Pradesh (hereinafter called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Laboratory Attendant on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Laboratory Attendant for a period of 1 year commencing on the day of ..... and ending on the day of ..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ..... and information notice shall not be necessary.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 3780/- per month (Which shall be equal to official to the pay scale + dearness pay).

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.
4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual Laboratory Attendant will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Laboratory Attendant. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. One maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Laboratory Attendant will not be entitled for the contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of a Laboratory Atendent appointment on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.

9. Contract official shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum at the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

2 .....
.....
.....
(Name and Full Address) Signature of the (FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address) Signature of the (SECOND PARTY)

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 29 नवम्बर, 2008

संख्या–पी.सी.एच.–एच.ए.(1) 19 / 2008.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0–एच0ए0(3)1 / 94–19181–362, तारीख 25 नवम्बर, 1997, द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 25 नवम्बर, 1997 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं, और इन्हें जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, (असाधारण) में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति, यदि उक्त नियमों के बारे में कोई आक्षेप / सुझाव देना चाहे तो वह उसे / उन्हें सचिव (पंचायती राज), हिमाचल प्रदेश

सरकार, शिमला–171002 को, प्रस्तावित संशोधनों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर भेज सकेगा;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों), या सुझाव(वों), यदि कोई हों, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात :–

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2008 है।

2. **नियम 127 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 127 में,–

(i) शीर्षक में ''प्रधान'' शब्द के पश्चात् ''या उप–प्रधान'' शब्द और चिन्ह जोडे. जाएंगे;

(ii) उप नियम (1) में ''प्रधान'' शब्द के पश्चात् ''या उप–प्रधान'' शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे ;

(iii) उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तः सीापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(3) यदि उप–प्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो खण्ड विकास अधिकारी ग्राम पचांयत के प्रधान को उसकी अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक बुलाने हेतु निर्देश सहित अविश्वास सूचना(नोटिस) की प्रति भेजेगा। ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर प्रधान उप नियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।'';

(iv) उप नियम (4) में ''खण्ड विकास अधिकारी'' शब्दों से पर्वू ''यथास्थिति,'' तथा पश्चात् ''या प्रधान'' चिन्ह और शब्द जोड़े जाएंगे ; और

(v) उप नियम (8) में ''हटाए गए प्रधान'' शब्दों से पर्वू ''यथास्थिति,'' तथा पश्चात् ''या उप–प्रधान'' शब्द और चिन्ह जोडे. जाएंगे,।

3. **नियम 127–क का लोप.**–उक्त नियमों का नियम 127–क का लोप किया जाएगा।

4. **नियम 143 का संशोधन.**–उक्त नियमों के नियम 143 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(1) व्यथित पक्षकार या व्यक्ति ग्राम पचांयत, पचांयत समिति, जिला परिषद् और अन्य प्राधिकारियों के आदेशों या कार्यवाहियों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 148 के अधीन निम्नलिखित प्राधिकारियों को अपील या पुनर्रीक्षण दाखिल (फाइल) कर सकेगा :–

	अपीलीय प्राधिकारी	पुनर्रीक्षण प्राधिकारी
(क) ग्राम पंचायत की कार्यवाहियों और आदेशों के विरूद्ध	संबद्ध उप मंडल का उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक)	संबद्ध जिला का उपायुक्त;
(ख) पंचायत समिति की कार्यवाहियों और आदेशों के विरूद्ध	संबद्ध जिला का उपायुक्त	संबद्ध मण्डल का मण्डलायुक्त;
(ग) जिला परिषद् के आदेशों के विरूद्ध	संबद्ध मण्डल का मण्डलायुक्त,	सचिव (पंचायती राज);
(घ) जिला पचांयत अधिकारी की कार्यवाहियों और आदेशों के विरूद्ध	संबद्ध जिला का उपायुक्त	संबद्ध मण्डल का मण्डलायुक्त;
(ड.) उपायुक्त की कार्यवाहियों और आदेशों के विरूद्ध	संबद्ध मण्डल का मण्डलायुक्त,	सचिव (पंचायती राज);
(च) मंडलायुक्त की कार्यवाहियों और आदेशों के विरूद्ध	सचिव (पंचायती राज),	वित्तायुक्त (अपील); और
(छ) किसी अन्य प्राधिकारी की कार्यवाहियों और आदेशो ं के विरूद्ध	सचिव (पंचायती राज)	वित्तायुक्त (अपील)''

5. नियम 149–क का अंतःस्थापन.–उक्त नियमों के नियम 149 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''**149–क अभिलेखों की छंटाई.–**(1) ग्राम पंचायत की दशा में पंचायत सचिव या पंचायत सहायक और, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् की दशा में सचिव यह देखेंगे कि फाइलों और अन्य अभिलेख की जांच और छंटाई का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। अभिलेख की छंटाई और नष्ट करने में पालन किया जाने वाला व्यापक सिद्धान्त यह है कि कोई भी दस्तावेज, जो महत्वपूर्ण हो या संभवतः भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हों, यद्यापि परोक्ष रूप में, इतिहास के किसी भी पहलू की सूचना के स्त्रोत के रूप में चाहे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि या जो भविष्य में जीवन संबंधी या पौरातनिक (पुरातत्व विषयक) महत्व का सिद्ध हो, नष्ट नहीं किया जाएगा। पंचायत का कोई भी अभिलेख जो किसी विधिक कार्यवाही से संबद्ध हो या जिसमें विधिक कार्यवाही अंतर्वलित हो तब तक नष्ट नहीं किया जाएगा, जब तक वाद का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं किया गया हो।

(2) पंचायत के प्रत्येक प्रकार के अभिलेख के लिए प्रतिधारण अवधि ऐसी होगी जो निदेशक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी। अभिलेख की छंटाई हेतु विनिर्दिष्ट अवधि अनिवार्यतः फाइल पर अंतिम आदेश की तारीख से प्रारंभ समझी जाएगी।

(3) ग्राम पंचायत की दशा में पंचायत सचिव या पंचायत सहायक और, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् की दशा में सचिव उप नियम (1) के उपबंधों के उध्यधीन अभिलेखों, फाइलों और रजिस्टरों इत्यादि का निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिधारण अवधि के साथ मिलान करने के पश्चात् छंटाई करेगा और विलोपन या छंटाई (इलिमिनेशन या वीडिंग आउट) रजिस्टर के प्ररूप–35 में छंटाई हेतु प्रस्तावित अभिलेख की सूची तैयार करेगा। जैसे ही संबद्ध अभिलेख की छंटाई की जाती है वैसे ही रजिस्टर के स्तंभ 1 से 12 में प्रविष्टियां की जाएंगी। छंटाई किए जाने हेतू प्रस्तावित अभिलेख सुविधा हेतू उस क्रम में रखे जाएंगे जिसमें उनकी प्रविष्टि विलोपन या छंटाई रजिस्टर में की गई हो।

(4) छंटाई किए जाने वाले अभिलेख की सूची विलोपन या छंटाई रजिस्टर में, निम्नलिखित से गठित, अभिलेख छंटाई समिति के समक्ष रखी जाएगी, अर्थात् :–

(i) ग्राम पचांयत की दशा में यह निम्नलिखित से गठित होगी,–

(क) पंचायत निरीक्षक या पंचायत उप निरीक्षक;
(ख) ग्राम पचांयत का प्रधान;
(ग) पंचायत सचिव या पंचायत सहायक;

(ii) पचांयत समिति की दशा में यह निम्नलिखित से गठित होगी,–

(क) अध्यक्ष, पंचायत समिति;
(ख) खण्ड विकास अधिकारी;
(ग) पंचायत निरीक्षक या उप निरीक्षक; और

(iii) जिला परिषद् की दशा में यह निम्नलिखित से गठित होगी,–

(क) अध्यक्ष, जिला परिषद्;
(ख) कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्;
(ग) जिला पंचायत अधिकारी।

(5) अभिलेख छंटाई समिति, उप नियम (3) के अधीन तैयार अभिलेख की सूची को यह सुनिश्चित करने हेतु कि सूची उप नियम (1) की शर्तों और विनिर्दिष्ट प्रतिधारण अवधि को पूरा करती है, छंटाई किए जाने के लिए प्रस्तावित अभिलेख से सत्यापित करेगी। समिति अपना समाधान करने हेतु अभिलेख से यह भी देखेगी कि अभिलेख अब उपयोगी नहीं है और नष्ट या छंटाई किए जाने वाले अभिलेख की सूची को अंतिम रूप देने के लिए स्तंभ 13 और 16 में प्रविष्टियां की जाएंगी। जब कभी आवश्यक हो, अर्थात् अब अभिलेख का वर्ग परिवर्तित किया गया हो जिसके परिणामस्वरूप इसका अतंरण विलोपन या नष्ट करने इत्यादि के लिए अन्य अवधि में हुआ हो तो "टिप्पणियां" स्तंभ में प्रविष्ट की जा सकती हैं। समिति नष्ट या छंटाई किए जाने वाले अभिलेख की सूची के अनुमोदन के पश्चात् पंचायत या पंचायती राज विभाग के किसी कर्मचारी को अभिलेख का छंटाई कर्त्ता नियुक्त करेगी।

(6) पंचायत के छंटाई किए गए अभिलेख को नष्ट करने के तुरन्त पश्चात् उप नियम (4) के अधीन गठित समिति के सदस्य प्ररूप–35 में छंटाई किए गए अभिलेख की सूची के अंत में, अधिप्रमाणन के रूप मे, अपने हस्ताक्षर करेंगे।"

6. प्ररूप–35 का जोड़ा जाना.–उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप–34 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"प्ररूप–35
(नियम 149–क देखें)
विलोपन या छंटाई रजिस्टर

क्रम संख्या	अभिलेख का प्रकार	फाइल की दशा मे ं पृष्ठों की संख्या		
		फाइल संख्या	पत्राचार	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

रजिस्टरों के मामले में ब्यौरे

प्रारम्भ करने की तारीख	बन्द करने की तारीख	पृष्ठों की संख्या
6	7	8

जारी की गई रसीदों के वाउचरों / प्रतिपर्णों की दशा में ब्यौरे

क्रम संख्या		तारीख	
से	तक	से	तक
9	10	11	12

पंचायत सचिव / पंचायत सहायक के हस्ताक्षर	नष्ट करने की तारीख
13	14
छंटाईकर्ता के हस्ताक्षर	टिप्पणियां
15	16

छंटाई समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित / –
सचिव।

————————

(Authoritative English text of this Department Notification NO. PCH-HA(1)19/2008, dated 29th November, 2008 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

DEPARTMENT OF PANCHAYATI RAJ

NOTIFICATION

Shimla-9, the 29th November, 2008

No. PCH-HA(1)19/2008.—In exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati

Raj (General) Rules, 1997, published in Rajpatra Himachal Pradesh, Extra-ordinary, dated the 25th November, 1997 vide notification No. PCH-HA (3)1/94-19181-362 dated 25th November, 1997, and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) for the information of the general public;

If any person likely to be affected by the draft rules has any objection(s)/suggestions(s) to make with regard to the said rules, he may send the same to the Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002, within a period of thirty days from the date of publication of the proposed amendments in the Rajpatra, Himachal Pradesh ;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State government before finalizing these rules, namely :-

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Amendment Rules, 2008.

2. Amendment of rule 127.—In rule 127 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 (hereinafter referred to as the „said rules"),-

(i) in the heading, after the words "Pradhan", the words and sign "or Up-Pradhan" shall be added ;

(ii) in sub-rule (1), after the words "Pradhan", the words and sign "or Up-Pradhan or both" shall be added ;

(iii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(3) If the no confidence motion is brought against the Up-Pradhan, the Block Development Officer shall send a copy of the no confidence notice to the Pradhan of the Gram Panchayat with the direction to call a Gram Sabha meeting under his president ship. On receipt of such requisition, the Pradhan shall follow the procedure laid down in sub-rule(2). ";

(iv) in sub-rule (4), after the words "Block Development Officer", the words and signs "or the Pradhan, as the case may be," shall be added ; and

(v) in sub-rule (8), after the words "removed Pradhan", the words and sign "or Up-Pradhan, as the case may be" shall be added.

3. Deletion of rule 127-A.—Rule 127-A of the said rules shall be deleted.

4. Amendment of rule 143.—In rule 143 of the said rules, for sub rule (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) Aggrieved party or person may file an appeal or revision against the orders or proceedings of a Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad and other authorities under section 148 of the Act to the following authorities :-

	Appellate Authority	***Revising Authority***
(a) against the orders and	Sub-Divisional	Deputy

proceedings of Gram Panchayat	Officer (Civil) of the concerned Sub Division	Commissioner of the concerned district ;
(b) against the orders and proceedings of Panchayat Samiti	Deputy Commissioner of the concerned district	Divisional Commissioner of the concerned division ;
(c) against the orders of the Zila Parishad	Divisional Commissioner of the concerned division	Secretary (Panchayati Raj) ;
(d) against the orders and proceedings of the District Panchayat Officer	Deputy Commissioner of the concerned District	Divisional Commissioner of the concerned division ;
(e) against the orders and proceedings of the Deputy Commissioner	Divisional Commissioner of the concerned division	Secretary (Panchayati Raj) ;
(f) against the orders and proceedings of the Divisional Commissioner	Secretary (Panchayati Raj)	Financial Commissioner (Appeals) ; and
(g) against the orders and proceedings of any other authority	Secretary (Panchayati Raj)	Financial Commissioner (Appeals).".

5. Insertion of rule 149-A.—After rule, 149 of the said rules, the following rule, shall be inserted, namely :-

"149-A. Weeding of Record.—(1) The Panchayat Secretary or Panchayat Sahayak, in the case of Gram Panchayat, and the Secretary, in the case of Panchayat Samiti and Zila Parishad, as the case may be, shall see that the work of checking and weeding of files and other record is done regularly. The broad principle to be followed in weeding and destruction of record is that no papers which are important or are likely to become important in future, however indirectly, as sources of information on any aspect of history, whether cultural, social, economic etc., or which may in future prove to be biographical or antiquarian interest, shall be destroyed. No record of the Panchayat, which is related to or involved in any legal proceedings, shall be destroyed until the case has attained finality.

(2) The retention period for retention of each type of record of Panchayat shall be such as is specified by the Director from time to time. The period specified for weeding out the record shall invariably be taken to run from the date of final order on the file.

(3) The Panchayat Secretary or Panchayat Sahayak, in the case of Gram Panchayat, and the Secretary, in the case of Panchayat Samiti and Zila Parishad, as the case may be, subject to the

provisions of sub-rule (1), shall sort out the records, files, registers etc., after tallying the same with the retention period specified by the Director and prepare the list of the record proposed to be weeded out in the Elimination or weeding out Register in Form-35. The entries in columns 1 to 12 of the register shall be made as soon as the record concerned is sorted out. For the sake of convenience the records proposed to be weeded out shall be kept in the order in which they have been entered in the Elimination or Weeding out Register.

(4) The list of the record, on Elimination or weeding out Register, proposed to be weeded out shall be placed before the Record Weeding Committee which shall have the following composition, namely :-

(i) in the case of the Gram Panchayat, it shall comprise of ,-

(a) Panchayat Inspector or Panchayat Sub-Inspector ;

(b) Pradhan of Gram Panchayat ;

(c) Panchayat Secretary or Panchayat Sahayak ;

(ii) in the case of Panchayat Samiti, it shall comprise of ,-

(a) Chairman, Panchayat Samiti ;

(b) Block Development Officer ;

(c) Panchayat Inspector or Sub-Inspector ; and

(iii) in the case of Zila Parishad, it shall comprise of ,-

(a) Chairman, Zila Parishad ;

(b) Executive Officer, Zila Parishad ;

(c) District Panchayat Officer.

(5) The Record Weeding Committee shall verify the list of record, prepared under sub-rule (3) with the record proposed to be weeded out for ensuring that the list meets out the conditions of sub-rule (1) and the specified retention period. The Committee shall also look through the record to satisfy itself that the record has lost its utility and entries in columns 13 and 16 shall be made for finalizing the list of record to be destroyed or weeded out. Entries in the "Remarks" column can be made whenever necessary, *i.e.*, when the classification of a record is changed resulting in the transfer of it to another period for elimination or destruction etc. The Committee after approving the list of record to be destroyed or eliminated shall appoint any official of the Panchayat or of the department of Panchayati Raj to be a weeder of record.

(6) Immediately after destruction of the weeded record of the Panchayat, the members of the Committee constituted under sub-rule (4) shall put their signatures as a mark of authentication at the end of the list of the weeded out record in Form-35.".

6. Addition of Form-35.—After Form-34 appended to the said rules, the following shall be added, namely :-

"Form-35

(See rule 149-A)

ELIMINATION OR WEEDING OUT REGISTER

Sl. No.	Type of record	No. of pages in case of file		
		File No.	Correspondence	Notes
1	2	3	4	5

Details in case of registers			Details in case of Vouchers/Counterfoils of receipts issued.			
			Sr. No.		Date	
Date of Opening	Date of closing	No. of pages	From	To	From	To
6	7	8	9	10	11	12

Signature of Panchayat Secretary/ Panchayat Sahayak	Date of destruction	Signatures of the Weeder	Remarks
13	14	15	16

Signatures of the members of the weeding committee.".

By order,
Sd/-
Secretary.

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 नवम्बर, 2008

संख्या इण्ड–।।(बी)2–11/2006.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए, हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग में बीज परीक्षक/मल्बरी उप–निरीक्षक/फील्डमैन/बडर, वर्ग–IV (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध – 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग बीज परीक्षक/मल्बरी उप–निरीक्षक/फील्डमैन/बडर, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त हागें।

2. **निरसन और व्यावृतियां.**–(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या उद्योग–।।(ख) 2–36/95 तारीख 13–8–1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग बीज परीक्षक/मल्बरी उप–निरीक्षक/फिल्डमैन/बडर, वर्ग– IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

2. ऐसे निरसन के होते हुए भी उपयुर्क्त उप–नियम (।) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई काई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –

————————

उपाबन्ध–'क'

उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में बीज परीक्षक / मल्बरी उप–निरीक्षक / फील्डमैन / बडर, (वर्ग–IV) अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एंव प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम :** बीज परीक्षक / मल्बरी उप –निरीक्षक / फील्डमैन / बडर

2. **पदों की संख्या :** 28 (अठाईस), बीज परीक्षक – 3, मल्बरी उप– निरीक्षक–4, फील्डमैन –19, बडर ––2 (अठाईस)

3. **वर्गीकरण** : वर्ग–IV (अराजपत्रित)

4. **वेतनमान :** 2720–100–3220–110–3660–120–4260 रूपये

5 **चयन पद अथवा अचयन पद** : अचयन ।

6. **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु :** 18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमले न से पर्वू सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पव्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पणः 1 सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद पदों को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया हैं या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले वयक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिणिक और अन्य अर्हताएं.– (क) **अनिवार्य अर्हताएं :** (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से मिडल पास या इसके समकक्ष ।

(।।) रेशम उत्पाद के क्षेत्र में छः मास का विभागीय प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त किया हो ।

(ख) **वांछनीय अर्हताएं :** हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विलक्षण दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्कता ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं.–आयु : लागू नहीं । **शैक्षिक अर्हताएं :** लाग ू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि काई हो.–दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदैश दें।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.–1. 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर । 2. 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा.–रियरिगं सहायक (टसर)/माली/बेलदार में से, जिनका रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अनुभव हो और जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ।

टिप्पण : 1 प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी; परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल; तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे;

परन्तु उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी;

परन्तु यह और कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण : अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा के गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—जैसा कि सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अवश्यक है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, भर्ती प्राधिकरण द्वारा निधार्रित किया जाएगा ।

15(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—(1) **संकल्पनाः** (क) इस पॉलिसी के अधीन बीज परीक्षक / मल्बरी उपनिरीक्षक / फील्डमैन / बडर को उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होनाः—

निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेशे, रिक्त पदों को, संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित भर्ती एजैंसी अर्थात् निदेशक उद्योग को अध्यपेक्षा प्रस्तुत करेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को सरकारी सेवा (जाब) में नियमितिकरण या स्थायी आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(।।) संविदात्मक उपलब्धियांः संविदा के आधार पर नियुक्त बीज परीक्षक / मल्बरी उप निरीक्षक / फील्डमैन / बडर को मु0 4080 / —रूपये प्रतिमाह की दर से समेकित नियत संविदात्मक राशि संदत्त की जाएगी।(यह राशि वेतनमान का प्रारम्भ जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) यदि संविदा की अवधि एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिये संविदात्मक रकम में मु0 100 / —रूपये (पद के वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्वि के बराबर) अनुज्ञात की जाएगी ।

(।।।) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारीः निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रकिया : संविदा, नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठयक्रम् इत्यादि निदेशक उद्योग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः जैसी भर्ती अभिकरण अर्थात निदेशक उद्योग द्वारा समय–समय पर की जाए ।

(VI) करार : अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें : (क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को मु0 4080 / –रूपये प्रतिमाह की दर से समेकित निश्चित संविदात्मक राशि अदा की जाएगी । (यह राशि वेतनमान के प्रारम्भ जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में मु0 100 / –रूपये (पद के वेतनमान में वार्षिक वेतनमान के बराबर) संदत्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी लाभ जैसे कि वरिष्ठ / चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी अवस्था में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

(ड.) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, किसी भी अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा ।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हाक, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम् पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावे का अधिकारः इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगााए गए अभ्यर्थी को, किसी भी अवस्था में उद्योग विभाग में बीज परीक्षक / मल्बरी उप निरीक्षक / फील्डमैन / बडर के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण.–उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की वावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.–लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.–जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, वहां यह, कारणों को अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत्, शिथिल कर सकेगी ।

———————

उपाबन्ध–ख

बीज परीक्षक / मल्बरी उप परीक्षक / फील्डमैन / बडर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक उद्योग, के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले संविदा / करार का प्ररूपः

यह करार श्री / श्रीमति सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी————————,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निदेशक उद्योग, के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के मध्य आज तारीख को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने बीज परीक्षक / मल्बरी उप निरीक्षक / फील्डमैन / बडर के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार बीज परीक्षक / मल्बरी उप निरीक्षक / फील्डमैन / बडर के रूप में से प्रारम्भ हाने और .....को समाप्त हाने वाले दिन तक एक वर्ष अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जायेगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम मु0 4080 / –रूपये प्रतिमास होगी।(यह रकम वेतन का प्रारम्भ जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी)

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्व नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी अवस्था में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त बीज परीक्षक / मल्बरी उप– निरीक्षक / फील्डमैन / बडर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। उसे किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा। संविदात्मक बीज परीक्षक / मल्बरी उप निरीक्षक / फील्डमैन / बडर कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए मानदेय लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त बीज परीक्षक / मल्बरी उप–निरीक्षक / फील्डमैन / बडर का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर

अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्कतता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा ।

9. संविदा कर्मचारी का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी की नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी वेतनमान की न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को मास.....वर्ष..... को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में
1.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में
1.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर)

————————

(Authoritative English text of this Department Notification No: Ind-II (Kha) 2-11/2006 Dated: 27-11-2008…as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

.

Shimla-171002 the 27th November, 2008

No. Ind-II (Kha) 2-11/2006.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Seed Examiner/Mulbery Sub-Inspector/Fieldman/Budder, Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Industries, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely:

1. Short Title and.— (1.) These rules may be called the Himachal Pradesh, Commencement Industries Department, Seed Examiner/Mulbery Sub-Inspector/Fieldman/Budder, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—1. The Himachal Pradesh Industries Department, Seed Examiner/Mulbery Sub-Inspector/Fieldman/Budder, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. Udyog-II (Kha) 2-36/95 dated13-08-1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any appointment made or any action under the relevant rules so repealed under sub-rule (I) supra shall be under the corresponding provisions of deemed to have been validity made or done or taken these rules.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

———

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SEED XAMINER/MULBERRY SUB-INSPECTOR/FIELDMAN /BUDDER, (NON-GAZETTED) CLASS-IV IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the Post:** Seed Examiner/Mulberry Sub-Inspector/Fieldman/Buder.

2. **Number of Posts :** 28 Posts (Seed Examiner=3, Mulberry Sub-Inspector=4, Fieldman=19, Budder=2) (Twenty Eight)

3. **Classification:** Class-IV (Non-Gazetted)

4. **Scale of Pay:** Rs.2720-100-3220-110-3660-120-4260.

5. **Whether "Selection" Post or Non "Selection Post" :** Non-Selection.

6. **Age for direct recruitment:** Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as

admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note. (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the recruiting authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION : i) Should be Middle pass or its equivalent from a Institution/Board.

(ii) Should have obtained six months departmental training and experience in field of Sericulture.

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS: -Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age: Not applicable E.Q.: Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—(i) 50% by direct recruitment or on contract basis.

(ii) 50% by promotion.

11. In case of recruitment, by promotion, deputation, transfer grade from which promotion /deputation /transfer is to be made.—By promotion from amongst the Rearing Assistant (Tassar)/Mali/Beldar having experience in the field of Sericulture and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service.

For the purpose of promotion a combined seniorty list of eligible officials without distrubing their unit wise inter-se-seniorty shall be prescribed."

Note: 1. In all cases of promotion, the continuous adhoc service in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided that:

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R& P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation: - The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Governent from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—: As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test other recruiting authority, as the case may be so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the recruiting authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—(I) CONCEPT: (a) Under the policy, Seed Examiner/Mulberry Sub-Inspector/Fieldman/ Budder in Department of Industries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years or year-to-year basis.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSSB: The Director Industries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requistion with the concerned recruiting agency i.e. the Director of Industries.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS: The Seed Examiner/Mulberry Sub-Inspector/Fieldman/ Budder appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contratual amount @ Rs.4080/- per month.(Which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay) An amount of Rs.100/-(equal to annual increase in the pay scale of the post.)As per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY : The Director of Industries, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS : Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vice-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Director of Industries.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS: As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Director of Industries.

(VI) AGREEMENT: After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS: (a) The Contract Appointee will be paid fixed Contractual amount @ Rs.4080/- per month. (Which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay) The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.100/- (equal to annual increase in the pay scale) per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such its senior/selection scales etc.shall be given.

(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract Appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the Contract Appointee. He / She shall not be entitled for medical reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt. /Registered Medical practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular counter-partofficials at the minimum of the pay scale.

(i) (VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT: The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Seed Examiner/Mulberry Sub-Inspector/Fieldman/Budder in the Department at any stage.

16. Reservation : The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. epartmental Examination.— N.A.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Rules with respect to any Class or Category of persons or posts.

Annexure – B

Form of contract /agreement to be executed between the Seed Examiner/Mulberry Sub-Inspector/ Fieldman/Budder and the Government of Himachal Pradesh through Director of Industries, H.P.

This agreement is made on this ..... day of ..... in the year ..... between Sh. / Smt. ..... S/o/D/o Sh. ..... R/o ..... contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Industries, Himachal Pradesh (hereinafter called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Seed Examiner/Mulberry Sub-Inspector/Fieldman/Budder on contract basis on the following terms and conditions: -

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Seed Examiner/Mulberry Sub-Inspector/ Fieldman/Budder for a period of 1 year commencing on the day of ..... and ending on the day of ..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ..... and information notice shall not be necessary.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. .4080/- per month(Which shall be equal to official to the pay scale + dearness pay).

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good

or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. Contractual Seed Examiner/Mulberry Sub-Inspector/ Fieldman/Budder will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Seed Examiner/Mulberry Sub-Inspector/ Fieldman/Budder. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. One maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Seed Examiner/Mulberry Sub-Inspector/ Fieldman/Budder will not be entitled for honorararium for the period of absence from duty.

7. Transfer of a Seed Examiner/Mulberry Sub-Inspector/ Fieldman/Budder appointment on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.

9. Contract official shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum at the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.'

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)
2 .....
.....
.....
(Name and Full Address)

Signature of the (FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)
2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

Signature of the (SECOND PARTY)

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला 171009, नवम्बर, 2008

संख्या पीसीएच–एचए(3)26 / 2006.–क्योंकि विभाग में, जिला कुल्लू के विकास खण्ड कुल्लू की ग्राम सभा कशावरी का नाम बदलकर ग्राम सभा भ्रैंण करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन हैः अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994(वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कुल्लू के विकास खण्ड कुल्लू, की ग्राम सभा कशावरी के नाम को कशावरी से बदलकर भ्रैंण करने का प्रस्ताव करते है और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एंव सार्वजनिक आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (आसाधारण) मे प्रकाशित करने एंव जिला कुल्लू के उपायुक्त को उक्त बारे सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं :

यदि ग्राम सभा कशावरी के नाम को बदलने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर–2 उपायुक्त कुल्लू को प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों ग्रहण नहीं किये जाएंगेः

राज्य सरकार, जिला कुल्लू, विकास खण्ड कुल्लू, की ग्राम सभा कशावरी के नाम को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त कुल्लू की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

————————

शिमला 171009, नवम्बर, 2008

संख्या पीसीएच–एचए(1)23 / 2008.– क्योंकि विभाग में, जिला लाहौल स्पिति के विकास खण्ड लाहौल, की ग्राम सभा कोलोंग के मुख्यालय को **ग्राम कोलोंग** में स्थापित करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन हैः

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994(वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला लाहौल स्पिति के विकास खण्ड लाहौल, की ग्राम सभा कोलोंग के मुख्यालय को ग्राम गैमूर से बदलकर ग्राम कोलोगं में स्थापित करने का प्रस्ताव करते है और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एंव सार्वजनिक आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (आसाधारण) मे प्रकाशित करने एंव जिला लाहौल स्पिति के उपायुक्त को उक्त बारे सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं :

यदि ग्राम सभा कोलोंग के मुख्यालय को बदलने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह अपने आक्षेप या सुझााव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर–2 उपायुक्त लाहौल स्पिति को प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो ग्रहण नहीं किये जाएंगे :

राज्य सरकार, जिला लाहौल स्पिति, विकास खण्ड लाहौल, की ग्राम सभा कोलोगं के मुख्यालय को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त लाहौल स्पिति की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव।

————————

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित